न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून

द्वितीय अपील संख्या— 61/2005—06 **अन्तर्गत धारा—331(4) जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।**

श्री धर्मवीर पुत्र सूबा सिंह, निवासी ढंडेरा तहसील रूडकी

—अपीलार्थी।

बनाम

श्री राजपाल पुत्र स्व0 छोटन, निवासी ढंडेरा, तहसील रूडकी एवं ग्राम सभा ढंडेरा एवं सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार।

विपक्षीगण।

बावत

भूमि स्थित खसरा संख्या—198 रक्बा 12 बिस्वा 5 बिस्वांसी साबिक खसरा नम्बर—317/1 मौजा ढंडेरा, परगना व तहसील रूडकी जनपद हरिद्वार

आदेश

प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त, मेरठ के आदेश दिनांक 31—01—97 के विरूद्व दाखिल की गई है जिसके द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी, रूडकी द्वारा वाद संख्या—88/1976—77 सूबा सिंह बनाम सरकार अन्तर्गत धारा—229बी जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 25—08—1976 की पुष्टि करते हुए प्रथम अपील निरस्त की गई है।

उक्त द्वितीय अपील राजस्व परिषद के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मूल वाद संख्या—88/76—77 श्री सूबा सिंह बनाम सरकार आदि अन्तर्गत धारा—229बी में पक्षकारों के अभिकथन पर पाँच वाद बिन्दु निर्धारित किये, जो निम्नवत हैं :—

1- Whether the plaintiff is the Sirdar of the land in suit ?

2- Whether the land it suit belongs to G.S. ?

3- Whether Defendant No. 3 is the allottee of G.S. and Sirdar of the land in suit ?

4- Whether the plaintiff has given valid notice to G.S. u/s 80 C.P.C and 106 P.R. Act ?

5- Whether the suit is barred by U.P. ordinance N0.17 of 1976 ?

सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी ने अपने आदेश दिनांक 25—08—1976 के द्वारा प्रारम्भिक वाद बिन्दु संख्या—5 को निर्णीत करते समय अवधारित किया कि अन्तर्गत धारा—210 की उप धारा—3 उ0प्र0 जमींनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम अध्यादेश संख्या—17/1976 के आधार पर वादग्रस्त भूमि में वादी को सीरदारी अधिकार प्रदान नहीं

किये जा सकते हैं क्योंकि उक्त अध्यादेश पूर्ववर्ती प्रभाव (Retrospective Effect) रखता है। इसलिए वादी का वाद कानूनन चलने योग्य न पाते हुए वाद निरस्त किया गया। उक्त आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 31–01–1977 के द्वारा करते हुए अपीलार्थी की प्रथम अपील निरस्त कर दी।

राजस्व परिषद, उ0प्र0 द्वारा द्वितीय अपील संख्या–78/76–77 सुबा सिंह बनाम छोटन आदि को निर्णीत करते हुए आदेश दिनांक 22–11–2001 द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूडकी का आदेश दिनांक 22–08–1976 व अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 31–01–1977 निरस्त करते हुए वादी का वाद वादी के हक में डिक्री कर दिया।

उक्त आदेश दिनांक 22–11–2001 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट याचिका संख्या–128/2002 श्री राजपाल बनाम श्री धर्मवीर व रिट याचिका संख्या–717/2002 सरकार बनाम धर्मवीर आदि प्रस्तुत कर प्रश्नगत आदेश दिनांक 22–11–2001 को इस आधार पर चुनौती दी गई कि दिनांक 09–11–2000 को उत्तराखण्ड राज्य बन जाने के कारण राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उक्त द्वितीय अपील का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं रह गया था। इसलिए राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2001 बिना क्षेत्राधिकार के है और शून्य है। माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड ने अपने आदेश दिनांक 05–09–2005 के द्वारा उक्त दोनों रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उक्त द्वितीय अपील को राजस्व परिषद के समक्ष इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया कि राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड प्रारम्भिक बिन्दु को कानून गुण व दोष के आधार पर पक्षकारों को सुनकर निस्तारित करे या समस्त वाद बिन्दुओं को निर्णीत करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करे। दौरान अपील श्री ओम प्रकाश व श्री देवपाल सिंह आदि के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम 10 व धारा–151 सिविल प्रकिया संहिता व धारा–341 जमींनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत इस आधार पर दिया गया कि प्रार्थीगण उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार हैं क्योंकि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में एक अन्य वाद संख्या–15/2005 श्री ओम प्रकाश आदि बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूडकी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें श्री धर्मवीर अपीलार्थी ने पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है और अपीलार्थी श्री धर्मवीर उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या–4 के रूप में पक्षकार बन गया है। वाद संख्या–88/76–77 तथा वाद संख्या–15/2005 की विषयवस्तु एक ही है इसलिए श्री ओम प्रकाश आदि को उक्त अपील में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

मेरे समक्ष अपीलार्थी के अधिवक्ता व प्रार्थीगण श्री ओम प्रकाश आदि के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25–08–1976 व अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 31–01–1977 निरस्त करते हुए उक्त

द्वितीय अपील स्वीकार कर इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाये कि अधीनस्थ न्यायालय मूल वाद में विरचित किए गए समस्त वाद बिन्दुओं को पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर एक साथ निर्णीत करें और अधीनस्थ न्यायालय को यह भी निर्देशित किया जाय कि अधीनस्थ न्यायालय श्री ओम प्रकाश आदि द्वारा पक्षकार बनने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 20–06–2007 को स्वीकार करते हुए मूल वाद संख्या–88/76–77 में पक्षकार बनाये और श्री ओम प्रकाश आदि द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या–15/2005 श्री ओम प्रकाश आदि बनाम राज्य आदि को समेकित (Consolidate) कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए वाद को गुण–दोष के आधार पर निर्णीत करे।

मैं पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क से सहमति रखते हुए उक्त द्वितीय अपील इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करता हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय मूल वाद में विरचित किये गये समस्त वाद बिन्दुओं को पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर एक साथ निर्णीत करे साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह श्री ओम प्रकाश आदि द्वारा पक्षकार बनने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 20–06–2007 को स्वीकार करते हुए उन्हें मूल वाद संख्या–88/76–77 में पक्षकार बनाये और श्री ओम प्रकाश आदि द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या–15/2005 ओम प्रकाश आदि बनाम राज्य आदि व उपरोक्त मूल वाद संख्या–88/76–77 को समेकित कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए वाद को गुणदोष के आधार पर निर्णीत करे।

दिनांकः २२ नवम्बर, 2013

(सुनील कुमार मुद्दू)
अध्यक्ष।